भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2149

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य मिलावट को रोकना

†2149. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में खाद्य मिलावट के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले पाँच वर्षों में दर्ज मामलों की संख्या कितनी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में खाद्य मिलावट पर हाल में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किए हैं और यदि हाँ, तो प्रमुख निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य मिलावट में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन उपाय किए हैं/कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देशभर में मिलावट का पता लगाने के लिए पर्याप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यशील प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार उपभोक्ताओं को देश में खाद्य मिलावट की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए मंच प्रदान करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उत्पादन, प्रसंस्करण और खुदरा चरणों में मिलावट रोकने की कार्यनीतियाँ लागू की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या आवश्यक खाद्य पदार्थों में मिलावट को कम करने के लिए नई नीतियां/विनियम/प्रौद्योगिकियाँ लागू की गई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (छ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता

सुनिश्चित करने हेतु उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने का अधिदेश है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत निर्दिष्ट खाद्य उत्पादों में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों और एफ़एसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा पूरे वर्ष नियमित निगरानी अभियान, निरीक्षण, विनियामक निरीक्षण और विभिन्न खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने लिए जाते हैं। यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त विनियामक कार्रवाई की जाती है। पिछले 5 वर्षों में जांचे गए खाद्य नमूनों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

पिछले 5 वर्षों में जांचे गए खाद्य नमूनों की संख्या का विवरण		
वर्ष	विश्लेषण किए गए नमूनों की संख्या	नमूनों की संख्या जो मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए
2024-25	170535	34388
2023-24	170513	33808
2022-23	1,77,511	44,626
2021-22	1,44,345	32,934
2020-21	1,07,829	28,347

इसके अलावा, खाद्य मूल्य श्रृंखला में मिलावट की समस्या से निपटने के लिए एफएसएसएआई ने विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई हैं:-

- खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) ने उच्च जोखिम वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफ़बीओ) के परिसरों के निरीक्षण को प्राथमिकता देने के लिए जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आरबीआईएस) लागू की है। एफ़एसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (एफ़ओएससीओएस) पोर्टल पर एक मंच प्रदान किया है, जहां उपभोक्ता द्वारा सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज किए जाने पर अधिकार क्षेत्र के अनुसार राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग/क्षेत्रीय कार्यालय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मामलों पर कार्रवाई करते हैं।
- खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच के लिए एफ़एसएसएआई द्वारा 246 प्रयोगशालाओं और 24 रेफरल प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया गया है।

- एफ़एसएसएआई ने विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की मौके पर जांच के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को "फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स" (एफ़एसडबल्यू) के रूप में जानी जाने वाली मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी (एमएफ़टीएल) भी उपलब्ध कराई है। अब तक, एफ़एसएसएआई द्वारा 541 एमएफ़टीएल के लिए उपलब्ध कराई गई निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 305 एमएफ़टीएल खरीदी और तैनात की जा चुकी हैं।
- फ़ूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने को बेहद आसान बनाते हैं। इनमें विश्वसनीय "त्वरित जांच परीक्षण" शामिल हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति घर पर कर सकता है।
- एफ़एसएसएआई ने "तीव्र परीक्षण से मिलावट का पता लगाना" (डीएआरटी) पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के खाद्य पदार्थों के लिए 50 से अधिक त्वरित परीक्षण शामिल हैं।
